

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 68/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (1) क्रम संख्या 349 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) क्रम संख्या 350 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम संख्या 351 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 27 सितम्बर, 2018 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/374/2018-टीआरआयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 62/2018 -सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितम्बर, 2018, सा.का.नि. 889 (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2018, के द्वारा संशोधन किया गया था ।